मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारण्टी परिषद

(मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)

59, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स भोपाल

क्रमांक 7858 / NR-3/IMP CELL/MGNREGS-MP/2011 भोपाल, दि. 30/07/2011

प्रति,

कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
मुख्यकार्यपालन अधिकारी एवं अति.जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र.
जिला--समस्त (म.प्र.)

विषयः– **समेकित माइक्रोप्रोजेक्ट क्रियान्वयन हेतु नियुक्त अशासकीय संस्थाओं बाबत्।**

विषयांतर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अध्याय 1 की धारा 2(g) में प्रावधानानुसार राज्य स्तर से चयनित अशासकीय संस्थाओं को मनरेगा अंतर्गत समेकित माइक्रोप्रोजेक्ट क्रियान्वयन हेतु एजेंसी नियुक्त किया गया है। तत्संबंध में विभिन्न जिलों में पाई गई अस्पष्टता के दृष्टिगत निम्न बिन्दु पुनः स्पष्ट किये जाते है :–

- अशासकीय संस्था का चयन एवं जिला आवंटन राज्य स्तर से प्रक्रिया उपरांत किया जाता है।
- एक जिले में एक से अधिक अशासकीय संस्थाएँ तथा संस्थाओं को एक से अधिक जिले आवंटित किये गये है। समेकित माइक्रोप्रोजेक्ट क्रियान्वयन हेतु अशासकीय संस्थाओं को जिले के लिये अतिरिक्त क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में जोड़ा गया है।
- आदेश क्रमांक–02 की कंडिका 6.2 अनुसार एक जिले में एक अशासकीय संस्था को अधिकतम दो विकासखण्ड में पृथक–पृथक क्लस्टर हेतु एजेंसी नियुक्त किया जाना है।
- अशासकीय संस्था द्वारा आदेश क्रमांक–02 की कंडिका 6.2 अनुसार एक जिले हेतु न्यूनतम 04 सदस्यीय विषय विशेषज्ञ पीआईए दल नियुक्त किया जाना होगा।
- संस्था को जिला आवंटन के उपरांत आदेश क्रमांक–04 अनुसार अनुबंध की कार्यवाही जिला स्तर पर संपादित की जाना है। जारी आदेश क्रमांक–04 की कंडिका 11(3) में परिषद् के पत्र क्रमांक 11030 दिनांक 01/11/2010 द्वारा जारी संशोधन अनुसार बैंक गारंटी विलोपित की गई है।
- अशासकीय संस्थाओं को जिला आवंटन की प्रक्रिया चरणबार की गई है। जिलों द्वारा पूर्व में ही क्लस्टर चयनित किये जाकर शासकीय पीआईए को भी क्रियान्वयन एजेंसी नियुक्त किया गया है। अतः नवीन अशासकीय संस्था को जिला आवंटन होने के उपरांत नवीन क्लस्टर के स्थान पर पूर्व चयनित क्लस्टर हेतु नियुक्त शासकीय पीआईए में से ही असंतोषजनक प्रगति वाले पीआईए के स्थान पर अशासकीय संस्था को क्लस्टर आवंटन किया जावे। किन्तु यदि पूर्व चयनित समस्त क्लस्टर में क्रियान्वयन संतोषजनक रूप से प्रगतिरत् है, ऐसी स्थिति में अशासकीय संस्था को नवीन क्लस्टर चयन कर आवंटित किया जा सकेगा। यथा संभव क्लस्टर की संख्या वर्तमान में न बढाई जावे।
- आदेश क्रमांक–03 कार्ययोजना निर्माण, आदेश क्रमांक–05 वित्त प्रबंधन, खाता संचालन तथा समय–समय पर जारी निर्देशों के साथ–साथ कार्ययोजना परीक्षण हेतु सांकेतिक चेकलिस्ट भी उपलब्ध कराई गई है।
- 01 जुलाई 2011 से लागू नवीन टॉस्क अनुसार ही कार्ययोजना तैयार करने हेतु पीआईए को निर्देशित किया जावे।

समेकित माइक्रोप्रोजेक्ट क्रियान्वयन से संबंधित समस्त आदेश एवं महत्वपूर्ण निर्देश परिषद की वेबसाईट www.nregs-mp.org पर रखे गये है।

30/7/11
(शिव शेखर शुक्ला)
आयुक्त
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद,

पृ.क्रमांक 7859 / NR-3/IMP CELL/MGNREGS-MP /2011 भोपाल, दि. 30/07/2011

प्रतिलिपि,

आयुक्त, समस्त संभाग

30/7/11
आयुक्त
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद,

E:\All Documents RK...doc